

8/03/2024

पत्रावली पेक्षा दुई वकील वाढी उपर बहल  
 कुरी रिपोर्ट वाढी वकील की ओर ले  
 एकतरफा में सुनी जा चुकी है। पत्रावली  
 का अवलोकन किया गया उपलब्ध रिकॉर्ड  
 पर मनन किया। दावा में कुरी विभाजन प्रस्ताव  
 सभी पक्षकारों की मौजूदगी में एवं तहसीलदार  
 की उपस्थिति में बनाये गये हैं। कुरी विभाजन  
 प्रस्ताव बाई मीटिंग एंड बाउण्ड के आधार  
 पर अर्द्धी में ले अर्द्धी एवं बुरी में ले बुरी  
 शाराजीयत का बंटवारा कुल दुए बनाये  
 गये हैं। तहसीलदार नदबई द्वारा मिजवाये  
 गये कुरी विभाजन प्रस्ताव के मुलाबिक दावा  
 सिद्ध किया जाना उचित है।

अतः आदेशित किया जाता है कि  
 तहसीलदार नदबई द्वारा मिजवाये गये कुरी  
 विभाजन प्रस्ताव के मुलाबिक दावा सिद्ध किया  
 जाता है। पर्याप्त सिद्धि जारी हो।

पत्रावली जेंसल सुमार होकर दाखिल  
 हफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)



**डिकरी व मुकदमें इबादाई**  
 (आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
 (Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नदबई  
 व इजलास श्री गंगाधर भीना, आर.ए.एस

विमला बनाम संजय कुमार वगै०

दावा बाबत 53, 54,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 155/2016

यह मुकदमा आज चारते इनफिसाल कतई रु-ब-रु ..... व हाजरी वादी  
 भिनजानिब मुददत व ..... भिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व  
 डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक तहसीलदार नदबई द्वारा भिजवाये  
 गये पत्रांक एलआर/24/733 दिनांक 04.03.2024 कुरा रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 के  
 अनुसार डिकरी किया जाता है। कुरा रिपोर्ट डिकरी का जुज रहेगा।

शहर ----- बीज - मुबलिंग ----- बावत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व  
 ----- फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ----- की अदा करें।  
 दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.03.2024 को जारी की गई।

मुहर ----- दस्तखत -----  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)

मुददई	रुप्या	पैसा	मुददालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

-----  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)